NHB(ND)/ROD/RRB/Refinance Circular 2/2014-15
Dated : 11-11-2014

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

To All Eligible Regional Rural Banks

Madam / Sir,

Refinance Circular No. 2/2014-15
Urban Housing Fund - Interest Rates

1. The interest rates on refinance extended under the Urban Housing Fund (UHF) have been revised with immediate effect. The revised rate and on-lending cap, which shall be applicable on all refinance disbursements made under the Urban Housing Fund on or after the date of this circular, are as under :

Loan Size	Interest Rate on Refinance	On-lending Cap
Upto ₹10 lakhs	7.10% p.a.	9.80% p.a.

Accordingly, the Regional Rural Banks are advised to ensure that for all refinance claims made under the Urban Housing Fund on or after the date of this Circular, only those loans are included where the on-lending rate to the borrower(s) does not exceed 9.80% p.a.

2. All other terms and conditions under the Urban Housing Fund refinance scheme as applicable to Regional Rural Banks as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)
Deputy General Manager
Refinance Operations

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी(एनडी)/आरओडी/आरआरबी/पुनर्वित्त परिपत्र 2/2014-2015
दिनांक: 11-11-2014

सभी पात्र **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** को,

महोदया / महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 2/2014-2015
शहरी आवास निधि – ब्याज दरें

1. शहरी आवास निधि (यूएचएफ) के तहत प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दरें तत्काल प्रभाव से संशोधित की गई हैं। इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात् शहरी आवास निधि के तहत सभी पुनर्वित्त संवितरणों पर लागू होने वाली संशोधित दर और ऋण दर की उपरि सीमा निम्नानुसार है:

ऋण आकार	पुनर्वित्त पर ब्याज दर	ऋण दर की उपरि सीमा
10 लाख रु. तक	7.10% प्रतिवर्ष	9.80% प्रतिवर्ष

तदनुसार, **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** को सूचित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात् शहरी आवास निधि के तहत किए सभी पुनर्वित्त दावों हेतु, केवल वे ऋण समाविष्ट किये गये हैं जहां उधारकर्ता(ओं) को ऋण दर की उपरि सीमा 9.80% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है।

2. शहरी आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत, **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** के लिये यथा लागू और समय समय पर यथा संसूचित अन्य सभी नियम व शर्तें लागू रहेंगे।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

(वी. वैदेश्वरण)
उप महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन